उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1945
(09 अगस्त, 2023)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023

(2) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

(3) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

(4) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

3-मुख्य मंत्री, सतर्कता अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2020 (खण्ड-1 व 2) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

4-अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2017 (लो0आ0), दिनांक 12-12-2017 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

5-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1)(बी) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

6-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1)(बी) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1)(बी) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

8-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या-1/24ऊ0नि0 नि0प्र0/09, दिनांक 01 जनवरी, 2009 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008 को विलम्ब के कारणों सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की अधिनियम संख्या-36) की धारा-182 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

9-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या-184/24-ऊ0नि0 नि0प्र0/2021, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को विलम्ब के कारणों सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की अधिनियम संख्या-36) की धारा-182 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

10-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री मुकुल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश चन्द्र उत्तम, (डा0) मान सिंह यादव, राजेन्द्र चौधरी, आशुतोष सिन्हा, लाल बिहारी यादव व श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2023 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारों को ही अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री गोविन्द नारायण शुक्ल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-मुख्य मंत्री, जनपद-सोनभद्र में अवैध खनन का खेल अवैध खनन माफियाओं द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-मुख्य मंत्री, जनपद-बदायूं के बिल्सी तहसील के परगना व गांव कोट के किले में अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-भिलवल, विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज, तहसील-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

15-डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत मोहल्ला-संगम विहार, फौजी चौराहा, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

16-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-चुंकडिया, ग्राम पंचायत-सालेहनगर, विकास खण्ड-माल, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

लखनऊ :
बुधवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1945
(09 अगस्त, 2023)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	21-4-2023
*2	21-4-2023
*3	21-4-2023
*4	21-4-2023
*5	18-5-2023
*6	10-7-2023
*7	27-7-2023
*8	27-7-2023
*9	27-7-2023
*10	27-7-2023
*11	27-7-2023
*12	27-7-2023
*13	27-7-2023
*14	27-7-2023
*15	27-7-2023

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	21-4-2023
2	21-4-2023
3	21-4-2023
4	21-4-2023
5	21-4-2023
6	21-4-2023
7	11-5-2023
8	11-5-2023
9	18-5-2023
10	18-5-2023
11	18-5-2023
12	18-5-2023
13	18-5-2023
14	18-5-2023
15	06-6-2023
16	06-6-2023
17	06-6-2023
18	06-6-2023
19	06-6-2023
20	06-6-2023
21	06-6-2023
22	06-6-2023

नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 9 अगस्त, सन् 2023 ई0

तारांकित प्रश्न

बेरोजगारों द्वारा किये गये पंजीकरण के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी दिलाये जाने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों में उनका सम्पूर्ण विवरण प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

*1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि बेरोजगारों द्वारा किये गये पंजीकरण के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी दिलाये जाने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों में उनका सम्पूर्ण विवरण श्रम एवं सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जाता है ?

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के किन-किन विभागों में कितने-कितने विवरण उपलब्ध कराये गये ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उ0 प्र0 में मजदूरों की मजदूरी निर्धारण के लिये न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर 2 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*2-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 में मजदूरों की मजदूरी निर्धारण के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सलाह ली जाती है ?

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो गठित बोर्ड का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड को न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सलाह देने की समय सीमा निर्धारित की गई है ?

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त समय सीमा कितने दिनों की होती है ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

घोरावल से प्रयागराज एवं घोरावल से वाराणसी तक चलने वाली रोडवेज बसों का पुनः संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 3 — परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*3-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि घोरावल से प्रयागराज एवं घोरावल से वाराणसी तक चलने वाली रोडवेज बसों का संचालन पुनः यथाशीघ्र करायेंगे ?

(ख) क्या घोरावल के खुटहां बाईपास के पास बने रोडवेज बस अड्डे का जीर्णोद्धार कराते हुए यहां से पुनः बसों का संचालन करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद उन्नाव में लोड फैक्टर के आधार पर नवीन बसें आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 4 — परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*4-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत यात्रियों के आवागमन हेतु परिवहन निगम की कुल कितनी बसें अद्यतन रूटवार संचालित की जा रही है ?

(ख) उक्त बसों में से कुल कितनी बसे नई है तथा कितनी बसें जर्जर हो चुकी हैं, जिनके स्थान पर नवीन बसों के संचालन की आवश्यकता है ?

(ग) क्या लोड फैक्टर के आधार पर उन्नाव डिपो को नवीन बसें आवंटित करायेंगे ?

जनपद सिद्धार्थनगर डिपो में संचालित होने वाली बसों के रख-रखाव, मरम्मत आदि पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 5 — परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*5-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर डिपो से कुल कितनी बसें संचालित होती हैं ?

(ख) उक्त बसों के संचालन से वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कुल कितनी आय हुई ?

(ग) उक्त तीन वर्षों में बसों के संचालन एवं रख-रखाव, मरम्मत आदि पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

(घ) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में

श्री नरेश चन्द्र उत्तम 6 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*6-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भत्ता देगी ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में कृषि कार्य से जुड़े श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर 7 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*7-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताएंगे कि प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए मजदूरी संहिता 2019 को स्वीकार किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या कृषि कार्यों से जुड़े श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से कृषि कार्य से जुड़े श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी क्या निर्धारित की गयी है ?

(घ) क्या कृषि कार्य से जुड़े श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रयागराज व झाँसी मण्डल में नये रूटों पर नई बसे संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 8 — परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*8-(क) क्या परिवहन मंत्री बताएंगे कि प्रयागराज व झाँसी मण्डल में वित्तीय वर्ष, 2023-24 के अन्तर्गत कितनी नई बसें नई रूटों पर संचालित करने की योजनाएं है ?

(ख) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन विभाग के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के मजदूरों की मूल मजदूरी की दरें निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर 9 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*9-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में मजदूरों की मूल मजदूरी का निर्धारण किया जाता है ?

(ख) यदि हाँ, तो दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 के लिए अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के मजदूरों की मूल मजदूरी की दरें क्या निर्धारित की गई है ?

(ग) क्या जनहित में मूल मजदूरी दरों को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों के सभी जेलों में कुछ कैदियों की सजा पूरी होने के बाद भी उन्हें बंद रखे जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 10 — कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*10-(क) क्या कारागार मंत्री बताएंगे कि वाराणसी, मिर्जापुर एवं आजमगढ़ मण्डलों के सभी जेलों में कैदियों की सम्पूर्ण क्षमता के सापेक्ष कुल कितने कैदी बंद है ?

(ख) क्या उक्त जेलों में कुछ कैदियों को सजा पूरी करने के बाद भी बंद रखा गया हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 11 — *11-[अन्तरित]

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सिद्धार्थनगर डिपो गोरखपुर के विरुद्ध की गई शिकायत पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 12 — परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*12-(क) क्या परिवहन मंत्री बताएंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सिद्धार्थनगर डिपो गोरखपुर क्षेत्र के विरुद्ध दिनांक 21/02/2023 को की गयी शिकायतों के बिन्दु क्या-क्या थे ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा पत्रांक-185 परि0/23-11 गोवि0/23, दिनांक 31/05/2023 के माध्यम से प्रकरण को समाप्त करने का अधोहस्ताक्षरी पत्र भेजा गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो कौन-कौन से जाँच अधिकारी थे ?

(घ) क्या जांच करते समय शिकायतकर्ता को भी सूचित किया गया था ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या जांच आख्या एवं उस पर की गई कार्यवाही का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

जिला कारागार उन्नाव में क्षमता से अधिक निरुद्ध कैदियों की संख्या कम किये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 13 — कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*13-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि जिला कारागार उन्नाव में कुल कितने कैदियों की बंदी क्षमता है ?

(ख) उक्त क्षमता के सापेक्ष कुल कितने कैदी कारागार में निरुद्ध है तथा क्षमता से अधिक निरुद्ध कैदियों की संख्या कम करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सरकारी और निजी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत श्रम कर के नाम पर प्राप्त धनराशि से श्रमिकों व उनके बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 14 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*14-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि सरकारी और निजी क्षेत्र में कितनी धनराशि पुल, सड़कें, स्कूल, सरकारी कार्यालय एवं निजी भवनों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत श्रम कर के नाम पर दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023 तक कितनी धनराशि प्राप्त की गई है ?

(ख) उक्त धनराशि में से किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों एवं उनके बच्चों को कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गईं तथा उक्त पर कितना धन व्यय किया गया ?

(ग) क्या उक्त की विस्तृत आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

उत्तर प्रदेश रोडवेज में निष्प्रयोज्य बसों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में

श्री नरेश चन्द्र उत्तम 15	*15-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में किसी बस को निष्प्रयोज्य घोषित करने के मानक क्या हैं ? (ख) जनरथ जैसी बसों से बस के अन्दर पानी टपकने जैसी शिकायतों के निस्तारण पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) मानकों के आधार पर कितनी बसें इस समय निष्प्रयोज्य होने योग्य हैं और इन निष्प्रयोज्य बसों की कमी सरकार कैसे पूरी करेगी ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अतारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव 1	1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि सेक्टर-3 जानकीपुरम् विस्तार, लखनऊ से होते हुए जाने वाले भारी वाहनों के कारण नव निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वहाँ के निवासियों में दुर्घटनाओं का शिकार होने का भय बना रहता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त सड़क मार्ग पर आने वाले भारी वाहनों का रूट डायवर्ट करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 2	2-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में सीतापुर से मछरेहटा होते हुए नैमिषारण्य धाम हेतु परिवहन के साधन न होने से तीर्थ यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु परिवहन की बस संचालित करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री आशुतोष सिन्हा 3	3-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे की न्यायिक हिरासत के तहत कैदियों को रखे जाने वाले जेलों में डी0आई0जी0 जेल पद पर आई0पी0एस0 अधिकारियों की नियुक्ति विधिसम्मत व संवैधानिक नियमों के अनुकूल है ? (ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धित नियम का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो संविधान की अवमानना के तहत नियम विरुद्ध नियुक्ति के लिए कौन दोषी है ?	कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री भीमराव अम्बेडकर 4	4-[अन्तरित]	
श्री आशुतोष सिन्हा 5	5-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि जनपद चन्दौली में नया कारागार बनाने पर विचार करेंगे ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 6	6-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड मिश्रिख में कोई बस अड्डा न होने से बसों का ठहराव निश्चित नहीं है, जिससे यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु विकास खण्ड मिश्रिख में बस अड्डे का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद कौशाम्बी के चायल ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सटई चौराहे से चायल होते हुए प्रयागराज स्टेशन तक बस संचालित करायेंगे ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री आशुतोष सिन्हा 8	8-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध आजीवन कारावास की सजा से दण्डित बन्दियों की संख्या कितनी है ? (ख) उनमें से कितने आजीवन कारावास के बन्दी समय पूर्व रिहाई के पात्र हैं ? (ग) कितने बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित हैं और उसके क्रम में क्या कार्यवाही की जा रही है ?	कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री भीमराव अम्बेडकर 9	9-[अन्तरित]	
श्री भीमराव अम्बेडकर 10	10-[अन्तरित]	
श्री भीमराव अम्बेडकर 11	11-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में ईंट भट्ठों पर बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं ? (ख) यदि हाँ, तो ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए उन्हें कुपोषण से बचाने व उनकी देख-रेख के लिए सचल आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने पर विचार करेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
श्री भीमराव अम्बेडकर 12	12-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 की जेलों में विभिन्न अदालतों से जमानत पर रिहा हो चुके कैदी बन्द हैं ? (ख) यदि हाँ, तो ऐसे सभी कैदी जो विभिन्न अदालतों से दोषमुक्त व जमानत पर रिहा किये जा चुके हैं, लेकिन वे गरीबी व आर्थिक तंगी के कारण जमानत नहीं करा पा रहे हैं, उनको विशेष व्यवस्था कर छोड़ने पर विचार करेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री भीमराव अम्बेडकर 13	13-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 से मजदूरी, नौकरी एवं व्यवसाय करने के लिए बड़ी संख्या में लोग विदेशों में जाते हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या जनपदवार उनका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) क्या विदेशों में व्यापार करने वाले व्यापारियों व श्रमिकों के हितों की देख-रेख के लिए विशेष योजना बनाये जाने पर विचार करेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
श्री भीमराव अम्बेडकर 14	14-[अन्तरित]	

श्री भीमराव अम्बेडकर 15	15-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में जिला स्तर पर श्रम एवं सेवायोजन कार्यालय हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उनमें रोजगार मांगने वाले बेरोजगार लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ? (ग) यदि हाँ, तो दिनाँक 01 जनवरी, 2023 से दिनाँक 15 मई, 2023 तक जनपदवार कितने बेरोजगार लोगों ने रोजगार हेतु रजिस्ट्रेशन कराया है ? (घ) क्या रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवकों को नौकरी की व्यवस्था करायेंगे ? (ङ) यदि हाँ, तो कब तक ? (च) यदि नहीं तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
श्री भीमराव अम्बेडकर 16	16-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में श्रमिकों को श्रेणीवार बाँटा गया है और उनकी मजदूरी भी श्रेणीवार तय की जाती है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या श्रेणीवार बाँटे गये श्रमिकों की श्रेणी व तय की गई मजदूरी का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) क्या श्रेणीवार बाँटे गये श्रमिकों की श्रेणी बनाने में शिक्षा का पैमाना रखा गया है या कुशलता का या दोनों का एवं शिक्षा व कुशलता का प्रमाण-पत्र किसके द्वारा जारी किया हुआ मान्य है ? (घ) क्या श्रमिकों का श्रेणीवार बँटवारे का प्रमाण-पत्र लिखित में जारी करवायेंगे, जिससे उनकी मजदूरी तय करने में आसानी हो सके ? (ङ) यदि हाँ, तो कब तक ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
श्री भीमराव अम्बेडकर 17	17-(क) क्या होमगार्ड्स मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में होमगार्ड्स की भर्ती की गई है ? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में होमगार्ड्स में जनपदवार विभिन्न श्रेणियों के कितने जवान कार्यरत हैं, उनका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) क्या होमगार्ड्स की कार्यकुशलता को देखते हुए उनके वेतन, भत्तों में वृद्धि करने पर विचार करेंगे ? (घ) क्या होमगार्ड्स के नये पद सृजित कर नई भर्तियाँ कराने की व्यवस्था करायेंगे ?	होमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर 18	18-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में पुराने जिला कारागार के स्थान पर नये कारागृह का निर्माण कराया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो कितने कारागारों का नव निर्माण कराया गया है, जिसमें कितने निर्माण होकर संचालित हैं और कितने निर्माणाधीन हैं, उनका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) क्या पुराने कारागारों के जर्जर भवनों की नीलामी करायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री भीमराव अम्बेडकर 19	19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में नदियों से भू-तत्व एवं खनिजों की निकासी की जाती है ? (ख) यदि हाँ, तो नदियों से भू-तत्व एवं खनिजों की निकासी की व्यवस्था ठेके के माध्यम से की जाती है ? (ग) क्या अवैध खनन से नदियों में बाढ़ आदि का खतरा रहता है ? (घ) यदि हाँ, तो अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेंगे ? (ङ) यदि हाँ, तो कब तक ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 20	20-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के कारागार अनुभाग में कैदियों की रिहाई से संबंधित कितने प्रकरण विचाराधीन हैं और उनमें से जनपद स्तर पर पिछले पाँच वर्षों में कब-कब औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए उक्त प्रकरण शासन को प्रेषित किये गये हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 21	21-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज व झांसी मण्डल के अन्तर्गत कारागारों में कितने ऐसे कैदी बन्द हैं, जिनकी उम्र 70/80 वर्ष से अधिक है ?	कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर 22	22-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों का पंजीकरण कराये जाने की व्यवस्था है ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पंजीकृत ग्रामीण कृषि श्रमिकों का जनपदवार विवरण सदन की भेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या ग्रामीण कृषि श्रमिकों की मजदूरी की दर तय की गई है, तो उक्त का विवरण प्रस्तुत करते हुए मजदूरी बढ़ाये जाने पर विचार करेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील-हैदरगढ़, विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज, ग्राम पंचायत-भिलवल के लखनऊ-सुल्तानपुर रोड से मल्लाहीपुरवा तक डामर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत-भिलवल, विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज, तहसील-भिलवल, जनपद-बाराबंकी के निवासी हैं। लखनऊ-सुल्तानपुर रोड से मल्लाहीपुरवा तक डामर सड़क बनवाये जाने हेतु प्रार्थीगणों द्वारा लगातार स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-भिलवल के लखनऊ-सुल्तानपुर रोड से मल्लाहीपुरवा तक डामर सड़क बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-झाँसी के अन्तर्गत मोहल्ला संगम बिहार, फौजी चौराहे के पास तारीक के मकान से मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण मोहल्ला संगम बिहार, फौजी चौराहे, जनपद-झाँसी के निवासी हैं। आपको अवगत कराना है कि मोहल्ला संगम बिहार, फौजी चौराहे के पास तारीक के मकान से मन्दिर तक सड़क बहुत क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जिससे बरसात के समय जल भर जाने से वहाँ के निवासियों को सड़क मार्ग से आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी से कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि मोहल्ला संगम बिहार, फौजी चौराहे के पास तारीक के मकान से मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-माल, ग्राम पंचायत-सालेहनगर के ग्राम-चुंकडिया में सम्पर्क मार्ग से बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तक डामर रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-चुंकडिया, ग्राम पंचायत-सालेहनगर, विकास खण्ड-माल, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। आपको अवगत कराना है कि हमारे गांव में चुंकडिया के सम्पर्क मार्ग से बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तक सड़क बहुत क्षतिग्रस्त स्थित में है। जिससे बरसात के समय जल भर जाने से वहां के निवासियों को सड़क मार्ग से आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगणों द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-चुंकडिया में सम्पर्क मार्ग से बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तक डामर रोड व नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित